[भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: , 2018

अधिसूचना

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (डार्क रूम सहायक) भर्ती नियम, 2002 को, जहां तक उसका संबंध केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (डार्क रूम सहायक) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में (डार्क रूम सहायक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (समूह 'ग' पद) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में (डार्क रूम सहायक)2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (6) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति,
   (क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
   (ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डार्क रूम सहायक	11* (2018) सीजीएचएस बंगलुरू – 16 सीजीएचएस चेन्नई -31 सीजीएचएस, हैदराबाद -33 सीजीएचएस जयपुर – 9 सीजीएचएस मुंबई- 55 सीजीएचएस पुणे – 14 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन * किया जा सकता है।।	साधारण केंद्रीय सेवा,(समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 3 (21700/-)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष तक। नोट : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत मे आवेदन पत्र प्राप्त करनेकी अंतिम तारीख होगी (किंतु अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख नहीं) नोट :2रोजगार कार्यालय द्वारा की गई भर्ती के मामले मे आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख, वह तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।		लागू नहीं	दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			
(10)	(11)	(12)	(13)
	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति, सीजीएचएस, दिल्ली (नियमितीकरण के लिए) में निम्नलिखित शामिल है:- (1) अपर निदेशक, के.स्वा. योजना (मुख्यालय), के.स.स्वा.यो. – अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार – सदस्य स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (3) उपनिदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना – (लयमुख्या) सदस्य दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के मामले में (1) संबंधित इकाई के अपर निदेशक अथवा	लागू नहीं

		– अध्यक्ष संयुक्त निदेशक अथवा उप-निदेशक (2) संबंधित इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – सदस्य (3) उप निदेशक अथवा सहायक (.प्रशा) (.प्रशा) निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (4) संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई प्रशासनिक – सदस्य अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार अथवा अन्य विभाग अथवा प्रभाग के किसी अन्य समूह 'क' अधिकारी न होने पर।	

सं. ए.12018/6/2015-एमएच-II

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

मुद्रणालय, भारत सरकार,

रिंग रोड, नई दिल्ली